तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/2/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 28/4/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
28/4/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 22/6/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
22/6/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 25/8/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
25/8/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 27/10/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
27/10/2020	वकुलाय उ० अधिवक्ता कार्यालय प्रार्थी सं. 1 से 8 प्रार्थिका की ओर से हाजर हुए व इजहार की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व कार्यालय पर विरुद्ध प्रार्थीगण इस आशय का पेश पेश किया कि प्रार्थिया एवं प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि मौजा ग्राम सिलाद खसरा नम्बर 367 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.5900 हैक्टर, ख.न. 464 रकबा 0.3100 हैक्टर कुल ख.न. 3 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर, समस्त मौजा सांसबान के ख.न. 1, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 कुल खसरा 9 जिसका कुल रकबा 25.1200 समस्त मौजा कोडी चक II ख.न. 4913, 4914, 4925, 4926, 4927, 4921, 4930, कुल खसरा 8 कुल रकबा 24.4700 हैक्टर आदि कुल दिखते हैं खा० पुश्तैनी भूमि में कार्यालय पर एक हिस्सा निहित है। वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि पुर्तिया के पर दादा नेनाराम पुत्र खुमाराम के नाम से स्थित थी। राजस्व रेकर्ड सम्वत 2025 के खाता खेत में दर्ज है निरान्तर खसरा से स्पष्ट है। उक्त वाद ग्राम भूमि में प्रा०पक्ष में वर्जित राजस्व नियमावली अनु० पर कार्य पुरुष नेनाराम हुए की मृत्यु हो चुकी है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उनके पुत्र वीरम व उनकी पत्नी फोत हो चुकी है। वीरमराम के पुत्र सुखराम वाली एवं ओमराम हुए। सुखराम के चार पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व पुत्री प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती देवी हुई। संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है जो सभी के कर्ता-धर्ता है। वीरम अविभाजित परिवार के कर्ता तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 सुखराम है। अपने दादा के जीवन-काल में प्रार्थिया का जन्म हो जाने से जमाबन्दी वर्ष 2025-26 में प्रार्थिया के परदादा वीरमराम की खातेदारी होने से वह पुश्तैनी एवं पैतृक भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 सुखराम द्वारा प्रतिवादी सं. 6 से 8 के पक्ष में सम्पूर्ण भूमि के लिये वसीयतनामा करके इन्तकाल करवा दिया जबकि प्रतिवादी सं. 1 सुखराम के द्वारा विधि विरुद्ध वसीयतनामा तथा इस आधार पर इन्तकाल नामान्तकरण प्रार्थिया की पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त हिस्से के विरुद्ध होने से वह इनफ्रिंगो वोईड एवं शून्य है। प्रार्थना पत्र में वह वर्णित भूमि में अंकित हिस्से की प्रार्थिया की पैतृक हिस्से की भूमि तो गलत तरीके से लिखे वसीयतनामा प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण सं. 6 से 8 आगे से आगे बेचान पत्र अन्य हस्तान्तरण करते तथा प्रार्थिया के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त आदि में दखलन्दाजी करने पर आमादा है। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को हक अधिकार न होने से स्थाई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थिया की पुश्तैनी व पैतृक अधिकार की भूमि है। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र मय आधार पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त प्रार्थिया की पैतृक व पुश्तैनी हक अधिकार की भूमि का अन्य किसी को बेचान पत्र अन्य हस्तान्तरण आदि करने से तथा प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण के लिये प्रदर्थाई निषेधाज्ञा होके जाने की-गुजारिश की है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 ने जवाब पेश कर उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 6 से 8 ने जबरन पेश कर उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी/खातेदारी-सुदा खातेदारी स्वामित्व की होने से उनको हक अधिकार होना अंकित किया है। प्रार्थिया द्वारा वर्णित मंशा वाद को अपूर्ण होना अंकित किया है। प्रार्थिया द्वारा वर्णित तथ्यों संयुक्त हिन्दू परिवार तथा प्रार्थिया के कोपार्सनर होना प्रार्थिया के दादा की मृत्यु 10 वर्ष बाद प्रार्थिया का जन्म हुआ, प्रार्थिया आदि सुदा है, लम्बरदार विपाल के से प्रार्थिया का कब्जा होने के तथ्य गलत होना अंकित किया है। जरिये वसीयतनामा प्रतिवादी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये जाने पर प्रतिवादी सं. 6 से 8 को हक अधिकार प्राप्त होने से प्रार्थिया का उल्लेख प्रार्थना पत्र हिस्सेदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थियों के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रकृत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने की इल्तिजा की है। अधिवक्ता गण अप्रार्थी सं. 5 की ओर से जवाब सिक्त 3/9/19 को अवसर समाप्त किया लेकर बन्द किया था। बहस बकुलायत पा. पत्र चार अधि R.T.Act 1955 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रकृत विवादग्रस्त भूमि ग्राम चेतूक पर पुश्तैनी तौर पर काबिज होने से बाकबजा साबित है, जिसका जरिया जरखरीदनामा दर्ज प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 6 से 8 के पक्ष में गलत व अवैध रूप किया गया है। इस प्रकार प्रार्थिनी पक्ष दलील किये जाने पर अप्रार्थीगण सं. 6 से 8 की ओर से ओर प्रकृत भूमि का बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी आदि करने से बचाये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की इल्तिजा की है। जवाब बहस में अप्रार्थीगण ने प्रार्थिनी पक्ष में वर्णित तथ्यों को गलत व मिथ्या होना प्रकट करते हुये खारिज किये जाने की इल्तिजा की है। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया। प्रकृत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी पक्ष, दलीलजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर नथ बकुलायत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादग्रस्त भूमि आबकाश्त पुश्तैनी होने से तीन किस्त प्रार्थीया के पक्ष में दीखती है। विवादग्रस्त भूमि खा. नं. 247 में 1/10 ग्राम पिपलाद, ग्राम पंचायत के खाता नं. 28 में 3.80 ग्राम काश्त एक किस्त के खाता संख्या 893 में 1.35 प्रार्थीया के एक किस्त में अप्रार्थीगण का बेचान रहनबीकरी तथा रोके की याद दिलाहि बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जरिये प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि सरपद मौजा ग्राम पिपलाद के ख.न. 367, 370, 464 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर किस्म बा.अ. ग्राम सांरगपान के ख.न. 01, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 081 कुल किता 09 कुल रकबा 25.1200 हैक्टेयर पा.इ.बा.अ. बेरा, सदा बा.अ., ग्राम नाडी एक किस्त

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के ग.सं. 4813, 4814, 4924, 1925, 4926, 4927, 4928, 4930 कुल क्षेत्रफल 8 कुल रकबा 24.4840 हेक्टेयर स्थित ग्रा.पं. ग्रा.पं. केरड़ केरड़ जब्त की गई है। कलियान के एक स्टिकर को चस्पा करके कार्यवाही नहीं करी तथा रैमकि या मिलकि नहीं मगर स्टिकर चस्पा कर दिनांक 2/3/2020 को दोपहर प्रार्थी निवेदिका द्वारा अपने वाद के निस्तारण तक यथास्थिति कायम रखने के संबंध में स्थगित आदेश जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। वाद स्वीकृत दावा दायरे मात्र पेश करके अपने वाद के जवाब-तलबी हो।

(सौभाग्य चौधरी)
मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
केरड़

निर्णय अपना दिनांक 21/10/2020 को रेडि हुआ पेश हो। जवाब तलबी मय नोटिस-नालिश के मुताबिक जारी।

(सौभाग्य चौधरी)
मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केरड़